



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.12.2025

- ❖ महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी।
- ❖ थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30.11.2025 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रुरा पर मु0अ0सं0 365/2025 धारा 64/127/324(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. आशिक खान पुत्र हबीब खान, 2. हबीब खान पुत्र स्व0 मकबूल खान निवासीगण ग्राम अमौली ठाकुरान थाना रुरा जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया। थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. आशिक खान पुत्र हबीब खान, 2. हबीब खान पुत्र स्व0 मकबूल खान उपरोक्त को दिनांक 03.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम अमौली ठाकुरान से अभियुक्तगण के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार सम्बन्धित न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. आशिक खान पुत्र हबीब खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अमौली ठाकुरान थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।
2. हबीब खान पुत्र स्व0 मकबूल खान उम्र 56 वर्ष निवासी अमौली ठाकुरान थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रुरा पुलिस